न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— रमेशकुमार आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 86/2023

01. विष्णुदत बिश्नोई पुत्र श्री लुम्बाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 2 के.पी.डी. तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

......वादी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट व धारा 151सीपीसी

निर्णय दिनांक :—28.05.25

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि जरिये बैयनामा खरीदशुदा राजस्व तहसील खाजूवाला के चक 11 केएलडी (आनन्दगढ़) के मु0नं0 132/02 के किला नं0 17 ता 20, 23 ता 25 कुल 1.7197 है0, मु0नं0 132/2 के किला नं0 9 ता 16 कुल 1.9726 है0 व मु0नं0 132/2 के किला नं0 1 ता 8 कुल 1.9979 है0 भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। वादी ने उक्त भूमि जरिये गिफ्ट डीड दिनांक 07.02.2020 को चक 11 केएलडी मु0नं0 132/2 के किला नं0 9 सालम, 10 में 18 बिस्वा, 11 में 18 बिस्वा, 12 ता 16 सालम कुल 7.16 बीघा कमाण्ड प्राप्त की है तथा चक 11 केएलडी मु0नं0 132/2 के किला नं0 11 में 18 बिस्वा, 12 सालम, 13 में 2 बिस्वा कुल 02.00 बीघा कमाण्ड दिनांक 05.06.2020 को दानपत्र से ही प्राप्त की है तथा चक 11 केएलडी मु0नं0 132/2 के किला नं0 17 ता 19 सालम, 20 में 18 बिस्वा, 23 में 18 बिस्वा, 24, 25 सालम कुल 6.16 बीघा कमाण्ड जरिये दानपत्र दिनांक 07.02.2020 को ही प्राप्त की है तथा शेष वादी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड रही है। जिसको वादी ने ही भूमि सुधार कर काबिल काश्त व उपजाउ बनाया है तथा खेतीबाड़ी कर जीवनयापन करता है। मौका पर वादी की फसल काश्त है। उक्त दानपत्र निष्पादन के समय ही सहवन से वादी का नाम विष्णुदत लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो गया। जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों, पहचान पत्रों आदि के नाम विष्णुदत बिश्नोई दर्ज है। वादी अपना नाम राजस्व अभिलेखों में विष्णुदत की बजाय विष्णुदत बिश्नोई घोषित करवाकर राजस्व अभिलेखों में मुताबिक घोषणा सही नाम दर्ज करवाना चाहता है। वादपत्र में वर्णित भूमि चक 11 केएलडी मु0नं0 132/2 के किला नं0 1 ता 20, 23 ता 25 की कुल 5.6902 है0 भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम विष्णुदत की जगह विष्णुदत बिश्नोई घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व भू अभिलेखों में अंकन की आज्ञा जारी करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट पत्रांक/417 दिनांक 15.04.25 अनुसार मु0नं0 132/2 खाता सं0 43 किला नं0 1/2 में 0.2529 है0, 2 ता 8 सालम रकबा 1.9979 है0 कमाण्ड व मु0नं0 132/2 खाता सं0 54 किला नं0 9 में 0.2529 है0, 10/2 में 0.2276 है0, 11/2 में 0.2276 है0, 12 ता 16 सालम कुल 1.9726 है0 कमाण्ड व मु0नं0 132/2 खाता सं0 66 किला नं0 17 ता 19 सालम, 20/2 में 0.2276 है0, 23/2 में 0.2276 है0 कुल 1.7197 है0 कमाण्ड इसप्रकार कुल रकबा 5.6902 हैक्टर कमाण्ड भूमि विष्णुदत पुत्र लूम्बाराम हिस्सा पूर्ण जाति बिश्नोई सा0 2 पीकेड तहः

घड़साना जिला श्रीगंगानगर खातेदार के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नामान्तरण सं0 38 दिनांक 24.12.1997 से जरिये बैयनामा से मु0नं0 132/2 किला नं0 1 में 0.2276 है0, 2 ता 8 सालम कुल 1.9979 है0 कमाण्ड भूमि विष्णुदत पुत्र लुम्बाराम जाति बिश्नोई सा0 घड़साना जिला श्रीगंगानगर खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। नामान्तरण सं0 132 दिनांक 08.07.2020 दानपत्र से मु0नं0 132/2 किला नं0 17 ता 19 सालम, 20/2 में 0.2276 है0, 23/2 में 0.2276 है0, 24 ता 25 सालम कुल 1.7197 है0 कमाण्ड भूमि विष्णुदत पुत्र लुम्बाराम जाति बिश्नोई सा0 2 केपीडी तहः घड़साना जिला श्रीगंगानगर हाल चक 11 केएलडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तरण सं0 128 दिनांक 17.06.2020 दानपत्र से मु0नं0 132/2 किला नं0 9 में 0.2529 है0, 10/2 में 0.2276 है0, 11/2 में 0.2276 है0, 12 ता 16 सालम कुल 1.9726 है0 कमाण्ड भूमि विष्णुदत पुत्र लुम्बाराम जाति बिश्नोई सा0 2 केपीडी तहः घड़साना जिला श्रीगंगानगर हाल चक 11 केएलडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबे पर किसी प्रकार का स्थगन/विवाद नहीं है। प्रार्थी के आधारकार्ड, पेनकार्ड, जनआधार कार्ड में नाम विष्णुदत बिश्नोई पुत्र लुम्बाराम दर्ज है। प्रार्थी जमाबन्दी में विष्णुदत पुत्र लुम्बाराम के नाम की जगह विष्णुदत्त बिश्नोई पुत्र लुम्बाराम के नाम की शुद्धि करवाना चाहता है। वादी ने वादपत्र को साबित करने के पक्ष में आधारकार्ड, पेनकार्ड, जनआधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की। पत्रावली पर सुना गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादी/प्रार्थी के वादपत्र/प्रार्थनापत्र को साक्ष्य/सबूत के तौर पर साबित करते हैं। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर वादगत भूमि चक 11 केएलडी मु0नं0 132/2 के किला नं0 1 ता 20, 23 ता 25 की कुल 5.6902 है0 भूमि के राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम विष्णुदत की जगह विष्णुदत बिश्नोई दुरूस्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट एवं धारा 151 सीपीसी में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुवे तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खाजूवाला को आदेश किया जाता है कि चक 11 केएलडी मु0नं0 132/2 के किला नं0 1 ता 20, 23 ता 25 की कुल 5.6902 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम विष्णुदत की जगह दुरूस्त कर विष्णुदत बिश्नोई नियमानुसार दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.05.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेशकुमार),

(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)